राजस्थान सरकार   रजिस्टर्ड डाक/स्पीट पोस्ट

आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक – प. 10(45)आयु./2018   जयपुर दिनांक :– 8 AUG 2018

आदेश

निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर के प्रस्तावानुसार इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(20)आयु./2015 दिनांक 11.12.2015 के द्वारा श्रीमती जसप्रीत कौर/सुच्चासिंह धालीवाल,ग्रांव–37 बी.बी., पोस्ट– 35 बी.बी.तह. पदमपुर, जिला–श्री गंगानगर आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान कर राजकीय आयुर्वेद औषधालय, थान्देवाला– श्रीगंगानगर में किया गया था। उक्त आदेश की पालना में श्रीमती जसप्रीत कौर के द्वारा दिनांक 23.12.2015 को सांय काल औषधालय, थान्देवाला–श्रीगंगानगर में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद दिनांक 24.12.2015 से लगातार बिना कोई अवकाश स्वीकृत कराये स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित चल रही है। इस सम्बन्ध में श्रीमती जसप्रीत कौर द्वारा विभाग को सूचित भी नही किया गया है।

जिला आयुर्वेद अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक 321–23 दिनांक 25.02.2016, 1008–11 दिनांक 28.07.2016 एवं 387–88 दिनांक 24.01.2017 के द्वारा अनुपस्थित रहने के संबंध में कारण स्पष्ट करते हुए ड्यूटी पर उपस्थित होने के निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी श्रीमती जसप्रीत कौर अपने कार्य पर उपस्थित नही हुई है तथा स्वैच्छा से लगातार अनुपस्थित है।

इस संबंध में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 25.04.2018 के द्वारा अन्तिम नोटिस जारी किया गया। विभागीय समसंख्यक नोटिस दिनांक 25.04.2018 के क्रम में श्रीमती जसप्रीत कौर द्वारा प्रति उत्तर प्रेषित कर उल्लेख किया है कि वह कार्य करने में असमर्थ है।

चूंकि श्रीमती जसप्रीत कौर वर्तमान में परीवीक्षाकाल में चल रही है। अतः निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर के प्रस्तावानुसार श्रीमती जसप्रीत कौर, आयुर्वेद चिकित्साधिकारी की सेवाएं राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक सेवा नियम–1973 के नियम–29 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

आज्ञा से,

(कुन्दन कुमार माथुर)
शासन उप सचिव

राजस्थान–सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान–अजमेर

अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर (राजस्थान) 305001

कमांक प.1/प्रति1/चिकि.अनु./48/2017/13139–44   दिनांक 10–8–18

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग जयपुर।
2. अति. निदेशक आयुर्वेद विभाग बीकानेर।
3. उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जिला श्रीगंगानगर को दी जाकर लेख है कि श्रीमती जसप्रीत कौर को आदेश तामिल करावें।
4. प्रभारी गोपनीय शाखा/ जॉच शाखा, निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर।
5. प्रोग्रामर निदेशालय आयुर्वेद विभाग को देकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे एवं संबंधित कार्यालय को जरिए ई–मेल
6. संबंधित श्रीमती जसप्रीत कौर द्वारा उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जिला श्रीगंगानगर।
7. सामान्य पत्रावली।

(स्नेहलता पंवार)
निदेशक